इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570]     भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 18, शक 1936

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2014

क्र. डी-15-70-2014-चौदह-3.—यत:, राज्य सरकार की राय है कि राज्य में उत्पादित एवं किसानों के द्वारा मण्डी प्रांगण में विक्रित बासमती धान जिसका उपयोग बासमती चावल के उत्पादन के लिये प्रदेश में स्थापित राईस/धान मिलों में या इसे प्रदेश के बाहर ले जाने के लिए किया जाता है, को प्रोत्साहित किया जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) (यथा अभिकथित अधिनियम) की धारा 69 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में उत्पादित एवं किसानों के द्वारा मण्डी प्रांगण में विक्रित बासमती धान जिसका उपयोग प्रदेश में स्थापित राईस/धान मिलों में या इसे प्रदेश के बाहर ले जाने के लिए किया जाता है पर अधिनियम के अधीन देय मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णत: छूट प्रदान करती है, और यह मंडी फीस से छूट निम्नलिखित शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

"उपरोक्त वर्णित मंडी फीस से छूट केवल उसी मंडी कृतकारी को प्राप्त होगी जिसके पास अधिनियम, 1972 की धारा 32 और 32-क के अधीन मण्डी में क्रय/विक्रय एवं प्रस्संकरण करने की क्रियाशील अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त हो और जिसके द्वारा सभी नियतकालिक विवरणियों तथा अन्य समस्त ब्यौरा अधिनियम एवं मंडी उपविधियों के प्रावधान अनुसार नियत समय पर मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति को प्रस्तुत की जायेगी. परन्तु यह मण्डी फीस से छूट वाणिज्यिक संव्यवहार अंतर्गत क्रय/विक्रय अधिसूचित (बासमती) "धान" पर लागू नहीं होगी."

उपरोक्त शर्त और निर्बंधन के भंग होने या इस अधिनियम के उपबंधों या मण्डी उपविधियों के अनुपालन या अतिक्रमण की दशा में, मण्डी फीस से छूट की रकम के पांच गुना रकम, संबंधित मण्डी समिति को, शास्ति के रूप में देय होगी तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जावेगी."

यह अधिसूचना "राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से 31 मार्च 2015 तक के लिये प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. त्रिपाठी**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2014

क्र. डी-15-70-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. त्रिपाठी,** उपसचिव.

Bhopal, the 9th December 2014

No. D-15-70-2014-XIV-3.—Whereas, in the opinion of the State Government, the notified agriculture produce (Basmati) "Paddy" grown the state and sold by the farmers in the market yard and which is either being used in the rice/paddy mills established in the state and or is being sent out of the state, should be encouraged.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhimiyam, 1972 (No. 24 of 1973) (the Act), the State Government hereby exempt the notified agricultural produce (Basmati) "Paddy" grown the state and sold by the farmers in the market yard and which is either being used in the rice/paddy mills established in the state and or is being sent out of the state, from payment of market fee in whole as provided in the Act, subject to the following conditions and restrictions, namely:—

"The benefit of this notification can be claimed by only such market functionary who has the valid licence to purchase/sale and processing in the mandi under sections 32 and 32-A of the Act, and who submits to the market committee of the market area, all periodic returns and other details as provided in the Act and Mandi By-laws. But the said exemption from market fee shall not be admissible, if the notified agricultural produce (Basmati) "Paddy" is purchased/sold in a commercial transaction."

In case of breach of aforesaid condition or non compliance or violation of the provisions of this Act and or mandi by laws, five time amount of the exemption of market fees will be payable as penalty to the concerned market committee and action as provided in the Act shall also be initiated.

This notification shall come in to force from the date of publication in "Gazette" till 31st March 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy.Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.